

मुकदमों का विवरण

दिव्या

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(लिखित याचिका (सी) 2023 का सं. 724) अक्टूबर 09, 2023

[जे. के. माहेश्वरी और के. वी. विश्वनाथन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2022 आर/डब्ल्यू ओ. एम. dtd.19.01 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) श्रेणी के तहत वैध दावा करने के लिए एक उम्मीदवार के लिए पात्रता मानदंड क्या है। 2019 और 31.01.2019; क्या यू. पी. एस. सी. ने ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत एक वैध दावा करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आई एंड ए. सी. प्रमाण पत्रों को रखने और अपलोड करने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने में न्यायसंगत ठहराया था; क्या सी. एस. ई.-नियम 2022 कानून में लागू करने योग्य हैं; आर. आर. हैं। 13, 27(3) और सी. एस. ई.-नियम 2022 के 28 संवैधानिक रूप से मान्य हैं; क्या ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत विचार के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार करने में यू. पी. एस. सी. को न्यायसंगत ठहराया गया था?

सिविल सेवा परीक्षा नियम, **2022-आर.13, 27, 28** - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पात्रता के बारे में प्रिस्क्रिप्शन-ऑफिशियल सीई मेमोरेण्डम डी. टी. डी. के अनुसार। **19.01.2019 & 31.01.2019** आर/डब्ल्यू आरआर। **27, 28**, सी. एस. ई.-**2022** नियम, ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (आई एंड ए. सी.) निर्धारित मानदंडों के अनुसार होना चाहिए और कट-ऑफ तिथि पर या उससे पहले उम्मीदवार के कब्जे में होना चाहिए-याचिकाकर्ताओं के पास निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले अपनी पात्रता निर्धारित करने वाले वैध दस्तावेज नहीं थे, संघ लोक सेवा आयोग (यू. पी. एस. सी.) द्वारा **2022** सिविल सेवा परीक्षा के लिए ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया गया था-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: सी. एस. ई.-2022 के उद्देश्य के लिए ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लाभार्थी होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों ने केवल तभी पात्रता प्राप्त की जब वे ओ. एम. dtd.19.01 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। 19 और 31.01.19 और वर्ष 2020-21 के लिए आय के आधार पर आवश्यक I & AC के कब्जे में थे-इसके अलावा, आवश्यकतानुसार यू/आर। 28 45

[illegible]

उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग बनाम गौरव सिंह और

ओआरएस. 2022 के सी. ए. No.4152 में।[पारस 74,86 (i)]

सिविल सेवा परीक्षा नियम, **2022-ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी** के तहत लाभ-निर्धारित पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि-न्याय:

आयोजित किया गया:ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले दावेदारों के लिए निर्धारित प्रारूप में आई एंड ए. सी. को रखने और अपलोड करने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने में यू. पी. एस. सी. को न्यायसंगत ठहराया गया था-यह ओ. एम. डी. टी. डी. से देय है।

19.01.2019 & 31.01.2019 आर/डब्ल्यू आरआर।13, 27(3) और सी. एस. ई.-नियम, 2022 की 28 और निर्णयों की लंबी कतार जिसमें पात्रता के लिए कट-ऑफ के प्रिस्क्रिप्शन के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं-सेवा कानून। [पैरा 86 (ii)]

सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2022-वैधता:

आयोजित किया गया:सी. एस. ई.-2022 नियमों में एक लागू करने योग्य कानून की शक्ति है-वे अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियम, 1955 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत पाए जाते हैं-सी. एस. ई. नियम किसी भी तरह से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम या आई. ए. एस. भर्ती नियम या आई. ए. एस. (प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियमों के किसी भी प्रावधान का स्थान नहीं लेते हैं-वे केवल उनके पूरक हैं-हालांकि परीक्षाओं के संचालन का तरीका स्पष्ट रूप से विनियम 3 का पता लगाने योग्य है, यह कहना असमर्थनीय है कि चूंकि पात्रता की शर्तों में विनियम 4 निर्धारित नहीं करता है।

[2023] 15 एस सी आर।

ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी और ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाणन और इसलिए वे पात्रता के हिस्से के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं-ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी स्वयं 2019 में आई थी-यदि यह विवाद सही होना था, तो सी. एस. ई.-2022 में कोई भी ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी नहीं हो सकती थी-इसलिए, तर्क यह है कि आर.13, 27 और सी. एस. ई.-नियम, 2022 के 28 को नियमों का दर्जा नहीं दिया जा सकता है-इसके अतिरिक्त, ये संघ की कार्यकारी शक्ति के लिए पता लगाने योग्य नियम हैं जो अनुच्छेद 73 के लिए विधिवत पता लगाने योग्य हैं-ये नियम विधिवत राजपत्रित हैं और चयन प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले निर्धारित किए गए हैं और उम्मीदवारों को प्रक्रिया शुरू होने से पहले नोटिस किया जाता है-यह तर्क देने में दिन में बहुत देर हो चुकी है कि इन नियमों की कोई पवित्रता या लागू करने योग्य कानून का बल नहीं है-अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951-भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954-भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955-भारत का संविधान-अनुच्छेद 73।[पैरा 49,50,86 (iii)]

सिविल सेवा परीक्षा नियम, **2022-आर.13, 27(3)** और **28**-उक्त नियमों को अधिकार से बाहर घोषित करने की याचिका अनुच्छेद **14** इस हद तक निर्धारित करता है कि उम्मीदवार के पास प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए:

आयोजित किया गया:अस्वीकृत-यह दिखाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है कि 22.02.2022 की कट-ऑफ को टोपी से चुना गया था-वह आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी और यह एक वैध रूप से निर्धारित कट-ऑफ थी-जहां किसी भी नियम की अनुपस्थिति या किसी पर्व की अनुपस्थिति है, पात्रता को पूरा करने का अंतिम दिन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है-यह एक न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त डिफॉल्ट तिथि है-इस मामले में आवेदन की अंतिम तिथि नियमों में कट-ऑफ के रूप में निर्धारित की गई थी-rr।13, 27(3) और 28 संवैधानिक रूप से मान्य हैं-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14-सेवा कानून। [पैरा 61,86 (iv)]

सिविल सेवा परीक्षा नियम, **2022 -आर. 13**-याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि "ई. डब्ल्यू. एस". श्रेणी से होना एक स्थिति है और इस प्रकार, प्रस्तुत किया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आई एंड ए. सी.) केवल एक प्रमाण था और इसे किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता था:

आयोजित किया गया:इस तरह के तर्क को सी. एस. ई.-2022 नियमों के अनुसार आधिकारिक ज्ञापन में स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, आवश्यकतानुसार यू/आर।13, विस्तृत आवेदन प्रपत्र-I (डी. ए. एफ.-I) के चरण में, दस्तावेज को निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन जमा करना था (सी. एस. ई.-2022 के लिए, तिथि 15.07.2022 थी) और यह कि दिव्या बनाम भारत संघ और ओ. आर. एस. को जमा करने में कोई देरी।

डी. ए. एफ.-I या निर्धारित तिथि के बाद के दस्तावेज की अनुमति नहीं थी-ये स्पष्ट शर्तें प्रस्तुतियों के विपरीत हैं कि एक प्रमाण पत्र के सुधार पर यह प्रमाण पत्र की तारीख से संबंधित है।[पैरा 41]

सेवा कानून-नियुक्ति/भर्ती/चयन-वह तिथि जिस पर पात्रता होनी चाहिए:

आयोजित किया गया:यदि ऐसे प्रासंगिक नियम हैं जो उस तारीख को निर्धारित करते हैं जिस पर पात्रता होनी चाहिए, तो वे नियम प्रबल होंगे-नियमों के अभाव में या पात्रता निर्धारित करने के लिए विवरण पत्रिका/विज्ञापन में निर्धारित कोई अन्य तारीख, एक न्यायिक समूह है जिसमें कहा गया है कि यह आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी-सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2022।[पैरा 46]

सेवा कानून-नियुक्ति/भर्ती/चयन-चयनात्मक छूट-अनिवार्यता:

आयोजित किया गया:चयन के अंतिम चरणों तक पात्रता के निर्धारण को अनिश्चित नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इससे अनिश्चितता पैदा होगी-इसके अलावा, यदि नियम अंतिम तिथि निर्धारित करते हैं जिस पर पात्रता होनी चाहिए, तो कोई भी छूट गैर-आवेदकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, जो पात्रता के अधिकार के अभाव में लागू नहीं हुए होंगे-छूट तब चयनात्मक होगी, जिससे भेदभाव होगा-वर्तमान मामले में, नियम स्पष्ट रूप से सी. एस. ई.-2022 के रूप में मौजूद हैं-जैसा कि आर. से स्पष्ट है।13, 15.07.2022 द्वारा, पात्रता का खुलासा करने वाले प्रमाण पत्रों को विस्तृत आवेदन पत्र-I (DAF-I) के साथ अपलोड किया जाना था और यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि DAF-I या समर्थन में दस्तावेजों को देर से जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-इसके अलावा, पुल के नीचे बहुत पानी भी बह गया है-यूपीएससी ने कैडर आवंटन किया है और 298 रिक्तियों के खिलाफ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी उनके संबंधित कैडर आवंटित किए गए हैं-याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करने से प्रशासनिक अराजकता भी होगी और चयन प्रक्रिया अनिश्चित रूप से लंबी हो जाएगी-यह कानूनी रूप से अनुमेय नहीं है और यूपीएससी के लिए प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है-सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2022।आर. 13.[पारस 51-53]

सेवा कानून-नियुक्ति/भर्ती/चयन-चयन निकाय का निर्णय-हस्तक्षेप-अस्वीकार्य-याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चार उम्मीदवारों के संबंध में छूट थी क्योंकि उन्हें ईडब्ल्यूएस और आई एंड एसी में दोषों को सुधारने की अनुमति दी गई थी:

48

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

आयोजित किया गया:यूपीएससी ने इन चूक को तुच्छ और पात्रता की जड़ तक नहीं जाने के रूप में माना, याचिकाकर्ताओं के मामले के विपरीत-वर्तमान मामले में, उसने दोषों को महत्वहीन नहीं माना-इस प्रकार, इस न्यायालय के पास सभी याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाओं को अस्वीकार

करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है-न तो आधिकारिक ज्ञापन और न ही विचाराधीन नियमों को निर्देशिका के रूप में माना जा सकता है-वे स्पष्ट रूप से पात्रता मानदंड निर्धारित करते हैं, जिस तारीख से पहले प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए-वे चूक के लिए परिणाम भी निर्धारित करते हैं-जिन याचिकाकर्ताओं के पास निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले अपनी पात्रता निर्धारित करने वाले वैध दस्तावेज नहीं थे, वे शिकायत नहीं कर सकते हैं, यदि उनके दावे को ईडब्ल्यूएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।[पारस 74,78,80 और 81]

भारत का संविधान-अनुच्छेद **142**-के तहत शक्ति-जब प्रयोग नहीं किया जाना है-
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा नियमों और यूपीएससी की कार्रवाई को बरकरार रखने की स्थिति में, उसे अनुच्छेद **142** के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण न्याय करने के लिए, याचिकाकर्ताओं को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए:

आयोजित किया गया:याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद 142 के तहत शरण नहीं दी जा सकती है-
वर्तमान मामले में, ओ. एम. और सी. एस. ई.-नियम 2022 के सही अनुप्रयोग द्वारा, सभी के लिए पूर्ण न्याय किया गया है-अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए-वर्तमान मामला उस शक्ति के आह्वान की गारंटी देने वाला नहीं है-सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2022।[पैरा 85]

शब्द और वाक्यांश-"योग्य"-अर्थ-चर्चा-सिविल सेवा परीक्षा नियम, **2022**।[पैरा **44**]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्न। (2016) 4 एससीसी 754; चार्ल्स के. स्कारिया और अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू

& अन्य [1980] 3 एससीआर 71:(1980) 2 एस. सी. सी. 752; दीपक यादव और अन्य

बनाम संघ लोक सेवा आयोग और एक अन्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 709; डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जे. ई. ई. और अन्य (2004) 5 पूरक।एससीआर 79:(2005) 9 एस. सी. सी. 779; धीरेंद्र सिंह पालीवाल बनाम संघ लोक सेवा 49

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

आयोग (2017) 11 एस. सी. सी. 276; आलोक कुमार सिंह और अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य (2018) 18 एस. सी. सी. 242-विशिष्ट।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य बनाम चंदर शेखर और एक अन्य [1997] 2 एससीआर 896: (1997) 4 एस. सी. सी. 18; संघ लोक सेवा आयोग बनाम.

गौरव सिंह और अन्य। उच्चतम न्यायालय का निर्णय dtd.18.05।2022 2022 के सी. ए. No.4152 में-पर भरोसा किया गया।

कर्ण सिंह यादव बनाम। दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार 2020 एस. सी. सी.

ऑन लाइन एससी 1472 (दो-न्यायाधीश) और 2022 एससीसी ऑन लाइन एससी 1341 (तीन - न्यायाधीश); रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय [1993] 1 एससीआर 186:1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 168; भूपिंदरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 262; अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ (2007) 3 एस. सी. आर. 95:(2007) 4 एस. सी. सी. 54; मोहन कुमार सिंघानिया और अन्य बनाम भारत संघ

और अन्य [1991] 1 पूरक।एससीआर 46:1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 594; ए. पी. पब्लिक सेवा आयोग बनाम बी. शरत चंद्र [1990] 2 एससीआर 463:(1990) 2 एस. सी. सी. 669; टी. जयकुमार बनाम ए. गोपू और एक अन्य [2008] 13 एस. सी. आर. 791: (2008) 9 एस. सी. सी. 403; अजय कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ [2016] एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल

6563 – संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 724।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

2023 की याचिका (सी) Nos.705 और 764 लिखें।

रूप:

के. परमेश्वर, सुश्री तान्या श्री, सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, अभिषेक मोहंती, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., दिग्विजय दाम, श्रीमती चित्रांगदा रस्तरवारा, ईशान शर्मा, सुश्री बी. एल. एन. शिवानी, शुयश पांडे, अरविंद कुमार शर्मा, नरेश कौशिक, वर्धमान कौशिक, मनोज जोशी, सुश्री।

50

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

शिखा जॉन, शुभम द्विवेदी, आनंद सिंह, अजय कनौजिया, एड.उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश/आदेश के. वी. विश्वनाथन, जे.

1. ये रिट याचिकाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग [ईडब्ल्यूएस] श्रेणी के लिए पात्रता निर्धारित करने वाले सरकारी ज्ञापन [ओएम] दिनांक 19.01.2019 और 31.01.2019 की व्याख्या से जुड़े सवाल उठाती हैं। इसके अतिरिक्त, वे सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2022 [सी. एस. ई.-2022 नियम], विशेष रूप से, नियम 13,27 और 28 की व्याख्या भी शामिल करते हैं। याचिकाकर्ताओं को, विभिन्न कारणों से, संघ लोक सेवा आयोग [यूपीएससी] द्वारा वर्ष 2022 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभ से वंचित कर दिया गया था। मुख्य सवाल यह है कि क्या यूपीएससी ने उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था। तीन रिट याचिकाओं में तथ्यों के अलग-अलग समूह शामिल हैं। तथ्यात्मक भागों को अलग से निपटाया जाता है। कानूनी प्रस्तुतियाँ मोटे तौर पर ओवरलैप होती हैं। जहाँ भी उनकी अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है, वही उचित स्थान पर किया गया है।

2023 की रिट याचिका (सी) संख्या 724:

2. याचिकाकर्ता-सुश्री दिव्या सिविल सेवा परीक्षा, 2022 (सी. एस. ई.-2022) की उम्मीदवार थीं। उन्होंने पहले ही सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए योग्यता प्राप्त कर ली थी और उन्हें मणिपुर संवर्ग आवंटित किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने सी. एस. ई.-2022 के लिए आवेदन किया। जिस श्रेणी में वह विचार किया जाना चाहती थीं, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में थी।

3. सी. एस. ई.-2022 सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2022 द्वारा शासित है। इन नियमों को 02.02.2022 पर जारी किया गया था। ये नियम मामले के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मामले का परिणाम इन नियमों, विशेष रूप से, नियम 13,27 और 28 की व्याख्या पर निर्भर करता है।

ऑफिसीई ज्ञापन दिनांकित 19.01.2019 और 31.01.2019:

4. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी. ओ. पी. टी.) ने 19.01.2019 के एक आधिकारिक ज्ञापन द्वारा पात्र होने के लिए मानदंड निर्धारित किया।

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 52

ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत आवेदन करना। प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहले था, क) व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए और ख) उनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

दूसरा, आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, व्यवसाय आदि से आय शामिल होनी थी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) की आय होगी। तीसरा, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या जिनके पास है, उन्हें परिवार की आय की परवाह किए बिना ईडब्ल्यूएस की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए:

- (i) 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि; (ii) 1000 वर्ग कि. मी. का आवासीय क्षेत्र। फीट और ऊपर;
- iii) 100 वर्ग कि. मी. का आवासीय भूखंड। अधिसूचित नगर पालिकाओं में यार्ड और उससे ऊपर;
- (iv) 200 वर्ग किलोमीटर का आवासीय भूखंड। अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में यार्ड और उससे ऊपर।

चौथा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परिवारों की आय और संपत्ति को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यू. टी.) में तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना था। आधिकारिक निकाय को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करना था।

5. इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा 31.01.2019 दिनांकित एक और आधिकारिक ज्ञापन [OM] जारी किया गया। इस ओ. एम. के तहत, 19.01.2019 के ओ. एम. की निरंतरता में जारी किया गया, खंड 5 में यह निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

5. आय और मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार और प्रमाण पत्र का सत्यापन:

“ 5.1 ई. डब्ल्यू. एस. के तहत आरक्षण का लाभ किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है। अनुलग्नक-I में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:-

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

((ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

((ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो और

(iv) उप-मंडल कार्यालय या वह क्षेत्र जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

5.2 प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने के बाद ऐसा ही करेगा।

5.3 उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की महत्वपूर्ण तिथि को पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में माना जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां महत्वपूर्ण तिथि अन्यथा निर्धारित की जाती है। 5.4 ई. डब्ल्यू. एस. से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति अधिकारियों को निम्नलिखित खंड शामिल करना चाहिए:-

“नियुक्ति अस्थायी है और आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र का उचित माध्यमों से सत्यापन किए जाने के अधीन है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा नकली/गलत है तो सेवाओं को बिना कोई और कारण बताए और ऐसी आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा जो नकली/गलत प्रमाण पत्र के उत्पादन के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकती है।”

नियुक्ति प्राधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के माध्यम से उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की सत्यता का सत्यापन करना चाहिए।

5.5 ऊपर उल्लिखित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि किसी बेईमान व्यक्ति के लिए झूठे दावे के आधार पर रोजगार प्राप्त करना संभव न हो और यदि किसी व्यक्ति को ऐसे झूठे दावे के आधार पर नियुक्ति मिलती है, तो उसकी सेवाओं को नियुक्ति की शर्तों को लागू करते हुए समाप्त कर दिया जाएगा।”

53

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 54

सिविल सेवा परीक्षा नियम, **2022:**

6. सुविधा के लिए, हमने सी. एस. ई.-2022 नियमों के नियम 13, 27 और 28 नीचे दिए हैं:-

“विस्तृत आवेदन प्रपत्र-I।

13. मुख्य परीक्षा के लिए, एक उम्मीदवार को जन्म तिथि, श्रेणी के समर्थन में स्कैन किए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ एक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र-I (डीएफ-I) जमा करना होगा। एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी. (ओ. बी. सी. अनुलग्नक के बिना)/ई. डब्ल्यू. एस. (ई. डब्ल्यू. एस. अनुलग्नक के बिना)/पी. डब्ल्यू. बी. डी./पूर्व सैनिक) और शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित समय के भीतर आवश्यक परीक्षा शुल्क देना होगा। कोई भी देरी

डी. ए. एफ.-1 या निर्धारित तिथि के बाद समर्थन में दस्तावेजों को जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इससे सी. एस. ई.-2022 के लिए उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

आरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्रता:

27.(1) एक उम्मीदवार समुदाय आधारित आरक्षण का लाभ केवल उस स्थिति में प्राप्त करने का पात्र होगा जब उम्मीदवार जिस विशेष समुदाय/जाति से संबंधित है, वह केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल है।

(2) सी. एस. ई.-2022 के लिए आवेदन करने वाले ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021 की आय के आधार पर ओ. बी. सी. (गैर-क्रीमी परत) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) सी. एस. ई.-2022 में एक उम्मीदवार केवल तभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा जब उम्मीदवार केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता है और उसके पास वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2020-2021 की आय के आधार पर आवश्यक आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है।

28. एससी/एसटी/ओ. बी. सी./ई. डब्ल्यू. एस./पी. डब्ल्यू. बी. डी./पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट के इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमों/सूचना में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक ऐसे लाभों के लिए नियमों/नोटिस में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी उनके पास होने चाहिए।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

7. नियमों के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलेगा कि नियम 28 के तहत, सी. एस. ई.-2022 के उद्देश्य के लिए ई. डब्ल्यू. एस. के तहत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। नियम 27 (3) के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित पात्रता यह है कि उम्मीदवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए आय के आधार पर आवश्यक आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आई एंड एसी) होना चाहिए। दूसरा, सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवारों के पास निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी होने चाहिए।

उपर्युक्त खंडों से यह देखा जा सकता है कि आरक्षण का लाभ किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आई एंड एसी) के कब्जे पर लिया जा सकता है। ओ. एम. के खंड 5.3 के तहत, आई एंड ए. सी. जमा करने की महत्वपूर्ण तिथि को पद के लिए आवेदन की प्राप्ति के

लिए अंतिम तिथि के रूप में माना जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां महत्वपूर्ण तिथि अन्यथा निर्धारित की जाती है।

8. जैसा कि सी. एस. ई.-2022 नियमों के 19.01.2019 और 31.01.2019 आर/डब्ल्यू नियम 27 और 28 के आधिकारिक ज्ञापन से स्पष्ट होगा कि ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए आई. और ए. सी. निर्धारित मानदंडों के अनुसार होना चाहिए और कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले उम्मीदवार के कब्जे में होना चाहिए।

9. इस मामले में कब्जे के लिए लागू तिथि 22.02.2022 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियमों की घोषणा के बाद, तीसरे प्रतिवादी-संघ लोक सेवा आयोग [यूपीएससी] ने 02.02.2022 पर परीक्षा नोटिस जारी किया और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22.02.2022 थी और समय सीमा उस दिन शाम 6 बजे थी।

10. जैसा कि ऊपर निकाले गए नियम 13 से स्पष्ट है, प्रमाण पत्र अपलोड करना प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद और मुख्य परीक्षा आयोजित होने से पहले ही होता है। मुख्य परीक्षा के लिए, एक उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के दावे के समर्थन में स्कैन किए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ एक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र-I (डीएफ-I) जमा करना आवश्यक है।

11. निर्धारित तिथि के बाद डी. ए. एफ.-I या समर्थन में दस्तावेजों को जमा करने में किसी भी देरी की अनुमति नहीं दी जानी थी और इससे उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

55

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 56

12. उपरोक्त से जो स्पष्ट है, वह यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, उम्मीदवार के पास वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए और मुख्य परीक्षा से पहले, उम्मीदवार से प्रमाण पत्र अपलोड करने की उम्मीद की जाती है।

याचिकाकर्ता का मामला:

13. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पास वर्ष 2019-2020 के लिए EWS प्रमाण पत्र था क्योंकि यह उसे हरियाणा सरकार द्वारा 09.10.2020 पर जारी किया गया था। हालाँकि, उनके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए गंभीर प्रभाव डालने के बाद भी, वह कोविड-19 महामारी और हरियाणा में लॉकडाउन के कारण 06.09.2021 तक 22.02.2022 से पहले आवेदन नहीं कर सकी या प्राप्त नहीं कर सकी; और उसके बाद भी 2022 के मध्य के दौरान प्रचलित COVID मामलों के कारण; कि राजस्व प्राधिकरण का कार्यालय सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्य नहीं कर रहा था और केवल COVID से संबंधित काम किया जा रहा था; कि प्रमाण पत्र ग्राम तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है और 2020 से जिला महेंद्रगढ़ के लिए कोई नियमित तहसीलदार नहीं था और कभी-कभी पास के स्थान से तहसीलदार केवल प्रशासनिक कार्य करने के लिए गाँव आते थे। 14. इन कारणों से, याचिकाकर्ता का कहना है

कि वह 22.02.2022 से पहले वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ थी। उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि, 13.12.2022 द्वारा, वह वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम थी, लेकिन 01.06.2023 तक 2020-2021 के लिए EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी।

15. सी. एस. ई.-2022 के लिए, प्रारंभिक परीक्षा 05.06.2022 पर आयोजित की गई थी और परिणाम 22.06.2022 पर घोषित किए गए थे और याचिकाकर्ता ने मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की थी।

16. याचिकाकर्ता ने सी. एस. ई. 2022 के लिए डी. ए. एफ.-I 06.07.2022 और 15.07.2022 के बीच प्रस्तुत किया और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र अपलोड किया, क्योंकि उसके पास किसी अन्य वर्ष के लिए प्रमाण पत्र नहीं था। मुख्य परीक्षा सितंबर 2022 में आयोजित की गई थी और परिणाम 06.12.2022 पर घोषित किए गए थे।

17. आई. डी. 2 पर, यू. पी. एस. सी. के अवर सचिव ने उन्हें सूचित करते हुए एक ई-मेल जारी किया कि उनके द्वारा अपलोड किया गया ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे आई. डी. 1 से पहले निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

18. 10.02.2023 पर, उन्होंने साक्षात्कार में भाग लिया और वित्तीय वर्ष 2019-2020 और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। इसके बाद, 14.02.2023 पर, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-2020 और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के साथ एक पत्र प्रस्तुत किया और उनके अनुसार, वही यूपीएससी द्वारा प्राप्त किया गया था। हालाँकि, यू. पी. एस. सी. द्वारा यह कहते हुए इसका विरोध किया जाता है कि पत्र प्राप्त करने वाले अनुभाग (डाक अनुभाग) पर पत्र का केवल वितरण उसी की स्वीकृति के बराबर नहीं होगा।

19. याचिकाकर्ता के अनुसार, 30.05.2023 पर, उन्हें ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया था कि उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता का कहना है कि, 21.06.2023 पर, उसने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक अभ्यावेदन भेजा जिसमें उसने 01.06.2023 पर प्राप्त वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को स्वीकार करने की मांग की और उसे कोई जवाब नहीं मिला। उनका दावा है कि उन्होंने अध्यक्ष, यूपीएससी के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भी ई-मेल किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

20. पीड़ित होने के कारण, याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका का नेतृत्व किया है क्योंकि वह दावा करती है कि उसने अखिल भारतीय रैंक [ए. आई. आर.] 105 हासिल किया था और अगर उसे ई.

डब्ल्यू. एस. श्रेणी में माना जाता है, तो उसकी कट-ऑफ उसे सी. एस. ई.-2022 में प्रवेश के लिए योग्य बनाती है। रिट याचिका में, उन्होंने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की है:

“(i) प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांकित 30.05.2023 ईमेल को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें;

(ii) सिविल सेवा परीक्षा 2022 के अनुसार भर्ती के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) श्रेणी में बनाए रखने और याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए प्रस्तुत ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र को स्वीकार करने का निर्देश देते हुए एक लिखित, आदेश या निर्देश जारी करें।

(iii) सिविल सेवा परीक्षा नियम 2022 के नियम 13, नियम 27 (3) और नियम 28 को घोषित करते हुए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, इस हद तक कि यह निर्धारित करता है कि उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के कब्जे में होना चाहिए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

57

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 58

21. डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 705 और 764 में याचिकाकर्ताओं से संबंधित विस्तृत तथ्य इस निर्णय के बाद के भाग में दिए गए हैं। जहाँ तक डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं का संबंध है। (ग) संख्या 705 और 764 का संबंध है, एक तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि उन सभी के संबंध में, डी. ए. एफ.-I के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज उनकी पात्रता को दर्शाने वाले सही दस्तावेज नहीं थे। मान लीजिए, कुछ कमियाँ या अन्य थीं जिन्हें डी. ए. एफ.-I जमा करने की तारीख के बाद सुधारने का उनका दावा था। यूपीएससी ने अपने जवाबी बयान में स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि 298 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के संबंध में, जिन्हें अंततः शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनके द्वारा डीएएफ-I में अपलोड किए गए आई एंड एसी की जांच की गई और उन्होंने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है या उनमें से कुछ को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया है।

यूपीएससी का रुख:

22. यू. पी. एस. सी. ने एक विस्तृत जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व किया है और अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक अतिरिक्त कार्रवाई का भी नेतृत्व किया है।

23. यूपीएससी के अनुसार, हर साल वे सिविल सेवा परीक्षा और लगभग तीस लाख उम्मीदवारों/आवेदकों को शामिल करते हुए कई भर्ती परीक्षाओं सहित कई संरचित परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यू. पी. एस. सी. ने नौ दशकों में विस्तृत तरीके/प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ विकसित की हैं। कि आई. ए. एस., आई. एफ. एस., आई. पी. एस. और समूह 'ए' और 'बी' में अन्य विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा डी. ओ. पी. टी. में भारत सरकार द्वारा बनाए गए और अधिसूचित सी. एस. ई. नियमों के अनुसार आयोजित की जाती है।

24. यू. पी. एस. सी. के अनुसार, आरक्षण चाहने वाले सभी उम्मीदवार सी. एस. ई.-2022 नियमों के नियम 28 से बाध्य हैं और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए और यू. पी. एस. सी. द्वारा संशोधित कट-ऑफ तिथि से पहले निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपने पास रखना चाहिए। कि याचिकाकर्ता को 10.02.2023 पर सूचित किया गया था कि उसका प्रवेश अस्थायी था क्योंकि उसने F. Y. 2020-21 की आय के आधार पर I & AC जमा नहीं किया था और याचिकाकर्ता ने उस संबंध में एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यूपीएससी का तर्क है कि नियम 27 (3) के तहत, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार केवल तभी पात्र थे जब उम्मीदवार केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करते हैं और उम्मीदवार के पास वित्तीय वर्ष 2020-2021 की आय के आधार पर आई एंड एसी होना चाहिए और होना चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने एफ. वाई. 2019-2020 के लिए आय के आधार पर आई. एंड ए. सी. प्रस्तुत किया है, इसलिए उसे ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत नहीं माना जा सकता है, और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

उन्हें 30.05.2023 पर विधिवत सूचित किया गया था कि उन्हें सामान्य श्रेणी के तहत माना जाना चाहिए।

25. यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता एकमात्र उम्मीदवार नहीं था जिसकी श्रेणी को सामान्य में बदल दिया गया था, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद जारी एफ. वाई. 2020-2021 की आय के आधार पर आई. एंड ए. सी. जमा नहीं किया गया था। यह अनुमान लगाया गया है कि ईडब्ल्यूएस के तहत आवेदन करने वाले 36 उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस नहीं माना गया क्योंकि वे अपने डीएएफ-I के साथ वैध आई एंड एसी अपलोड करने में विफल रहे। यूपीएससी के अनुसार, 36 उम्मीदवारों में से 22 उम्मीदवारों की श्रेणी को ईडब्ल्यूएस से बदलकर सामान्य कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सामान्य मानकों पर सीएसई-2022 में अर्हता प्राप्त की थी और 14 उम्मीदवारों के संबंध में, जो अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।

26. उनके अनुसार, सी. एस. ई.-2021 के लिए भी इसी तरह की कवायद की गई है। यू. पी. एस. सी. द्वारा यह कहा गया है कि महामारी के बाद डी. ए. एफ. की भाषा के संबंध में उनके द्वारा नियोजित तंत्र ऑनलाइन है, जिससे हाथ से हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और इस तरह, याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि डी. ए. एफ.-I की भाषा के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, योग्यता और सार के बिना था। यह भी कहा जाता है कि महामारी के दौरान भी सी. एस. ई. आयोजित किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सी. एस. ई.-2022 में हरियाणा राज्य के 80 ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवारों ने एफ. वाई. 2020-2021 के आधार पर जारी वैध आई. और ए. सी. जमा किया था। यह माना जाता है कि पवित्र होने के कारण नियमों में ढील नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि कोई भी छूट 'चुनिंदा कुछ' के पक्ष में ढील देने के बराबर होगी। अंत में, यह माना जाता है कि कोई भी छूट दूसरों के लिए अपने पक्ष में नियमों में ढील देने की मांग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

27. यू. पी. एस. सी. ने 26.08.2023 के नेतृत्व में अतिरिक्त एफ़ी डेविट फ़ाई में कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम उम्मीदवारों की प्रासंगिक श्रेणी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था और 22.06.2022 पर घोषित किया गया था। यूपीएससी के अनुसार, परीक्षा के नियमों के अनुसार, सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या परीक्षा के माध्यम से दी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का लगभग बारह से तेरह गुना होनी थी। तदनुसार, 13,090 उम्मीदवारों (1,022 रिक्तियों का 12.8 गुना) को अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया था। प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक लागू किए गए थे और मुख्य परीक्षा के लिखित भाग में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की श्रेणीवार संख्या निर्धारित की गई थी। कि यह माना गया था कि 59

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 60 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या, उस विशेष (मध्यस्थ) स्तर पर आवश्यक अनुपात और अंकों के विशेष बिंदु पर उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक चरण में श्रेणीवार 'कट-ऑफ' का निर्धारण यूपीएससी द्वारा किया गया था। यह माना जाता है कि प्रत्येक मध्यवर्ती चरण में लागू की जाने वाली श्रेणीवार कट-ऑफ का निर्धारण करते समय, उम्मीदवारों के व्यक्तिगत विवरण के बिना केवल डेटा को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार विवरण के आधार पर यूपीएससी द्वारा कट-ऑफ निर्धारित किए जाने के बाद, सभी उम्मीदवार, जिन्होंने कट-ऑफ से समान या अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें परीक्षा के अगले चरण के लिए चुना जाता है। यह माना जाता है कि यदि किसी अयोग्य उम्मीदवार को मैदान में बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो एक योग्य उम्मीदवार को विचाराधीन क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि अतिरिक्त उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए उम्मीदवारों की संख्या में बदलाव किया जाता है, तो यूपीएससी द्वारा कट-ऑफ शुल्क प्रभावित होगा और इसके परिणामस्वरूप ऐसे कई उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

28. यह अनुमान लगाया गया है कि 13,090 उम्मीदवारों में से 13,051 उम्मीदवारों ने अपना डीएफ-1 जमा किया। सी. एस. ई. (मुख्य) परीक्षा, 2022 के परिणाम के अनुसार, जिसे 06.12.2022 पर घोषित किया गया था, परीक्षा के नियमों के अनुसार 2,529 उम्मीदवारों (1,022 रिक्तियों का ढाई गुना) को साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया गया था। कि 2,529 उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की गई और उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों में उनकी अवज्ञा योग्यता के बारे में सूचित किया गया; कि 298 उम्मीदवारों ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त की और 298 उम्मीदवारों के आई एंड एसी की जांच की गई; कि 28 उम्मीदवार या तो आईडी 1 द्वारा आई एंड एसी नहीं होने के कारण या एफ. वाई. के लिए आय के आधार पर जारी आई एंड एसी अपलोड करने में विफल रहने के कारण असफल रहे। 2020-2021; कि सामान्य मानक को पूरा करने वाले 14 उम्मीदवारों को सामान्य कोटे के खिलाफ समायोजित किया गया था और उनकी श्रेणी को EWS से बदलकर सामान्य कर दिया गया था।

29. कोविड-19 के कारण समय के भीतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने में याचिकाकर्ता की असमर्थता की याचिका का पुरजोर खंडन करते हुए, यूपीएससी द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने महामारी के चरम के दौरान आई. ए. एंड सी दिनांक 09.10.2020 प्रस्तुत करके सी. एस. ई. 2021 में ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत लाभ उठाया था और याचिकाकर्ता की याचिका, यूपीएससी के अनुसार, अत्यधिक असंभव थी और इसे बनाए रखने के योग्य नहीं थी।

याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया:

30. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया गया है कि, अपने आवेदन में, उसने ईडब्ल्यूएस के रूप में अपनी श्रेणी को सूचित किया था; कि याचिकाकर्ता को 1281 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों में गिना गया था, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की थी और उन्हें मुख्य परीक्षा में भर्ती कराया गया था; कि याचिकाकर्ता को उसकी असमर्थता के कारण किसी भी स्तर पर कभी भी बाहर नहीं रखा गया था; कि यूपीएससी ने खुद स्वीकार किया कि डीएएफ-1 के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच नहीं होती है; कि याचिकाकर्ता 298 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों का हिस्सा था, जिन्होंने मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी; कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के बाद आई एंड एसी की जांच की गई थी और साक्षात्कार के समय याचिकाकर्ता ने प्रमाण पत्र दिखाया था। 2019-2020 और 2021-2022 और सेवा के आवंटन से पहले, उन्होंने एफ. वाई. के लिए प्रमाण पत्र भी जमा किया था। 2020-2021। इसे ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता को बाहर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि देरी से प्रस्तुत करने से वास्तव में किसी भी स्तर पर श्रेणीवार चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई थी।

तर्क:

31. हमने कथनों और दलीलों पर विचार किया है और संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को बहुत विस्तार से सुना है।

32. याचिकाकर्ता (सुश्री दिव्या) की विद्वान वकील सुश्री प्रीतिका द्विवेदी ने अभिवचनों में निर्धारित अपने मामले को दोहराया और इस न्यायालय के कुछ निर्णयों से समर्थन प्राप्त करने की भी मांग की। विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर ने अन्य दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया। दोनों विद्वान वकीलों ने मामले की तैयारी और प्रस्तुति में काफी परिश्रम किया।

33. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का प्राथमिक तर्क यह है कि, एक बार जब ईडब्ल्यूएस के रूप में उनका वर्गीकरण विवाद में नहीं था, तो केवल 22.02.2022 के रूप में प्रमाणन प्राप्त करने में असमर्थता उनके पूर्वाग्रह के लिए काम नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार, देरी से जमा करने से किसी भी स्तर पर श्रेणीवार आवंटन प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई और यह कि प्रमाण पत्र को कट-ऑफ से पहले दिनांकित करने पर जोर देने का कोई तर्क नहीं था, अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने का अंतिम दिनांक 61

राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन पर भरोसा किया

बोर्ड और ए. एन. आर. (2016) 4 एससीसी 754, कर्ण सिंह यादव बनाम सरकार। दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1472 (दो-न्यायाधीश) और 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1341 (तीन-न्यायाधीश), चार्ल्स के. स्कारिया और अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू और अन्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 752, डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जे. ई. ई.

और अन्य, (2005) 9 एस. सी. सी. 779, धीरेंद्र सिंह पालीवाल बनाम संघ लोक सेवा आयोग, (2017) 11 एस. सी. सी. 276, आलोक कुमार सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2018) 18 एस. सी. सी. 242 और दीपक यादव और अन्य बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य,

(2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 709। इसके अतिरिक्त, और काफी कमजोर रूप से, एक तर्क भी उठाया गया कि सी. एस. ई.-नियम 2022 में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है और वे कानून में लागू करने योग्य नहीं हैं।

34. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, भारत संघ के लिए ए. एस. जी. और श्री नरेश कौशिक, प्रतिवादी <आई. डी. 1 के लिए विद्वान वकील, ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का पूरी तरह से और मेहनत से विरोध किया। विद्वान वकील के अनुसार, वर्तमान एक ऐसा मामला था जिसमें नियमों के रूप में एक स्पष्ट निर्देश था। विद्वान वकील ने सी. एस. ई.-2022 नियमों के ओ. एम. दिनांक

19.01.2019, 31.01.2019 और नियम 13, 27 और 28 पर भरोसा किया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवार के रूप में पात्रता तभी प्राप्त की जाती है जब उम्मीदवार केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता है और उसके पास एफ. वाई. के लिए आय के आधार पर आवश्यक आई. एंड ए. सी. होता है। 2020-2021; कि नियम 28 के तहत, उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि तक अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के कब्जे में होना चाहिए। 22.02.2022 कि मुख्य परीक्षा के लिए, एक उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर स्कैन किए गए दस्तावेजों के साथ डी. ए. एफ.-I जमा करने की आवश्यकता होती है; निर्धारित तिथि के बाद डी. ए. एफ.-I या समर्थन में दस्तावेजों को जमा करने में किसी भी देरी की अनुमति नहीं थी और इससे उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। सीखा हुआ परामर्श

चार्ल्स के. स्कारिया (सुप्रा), डॉली छांडा (सुप्रा) और धीरेंद्र सिंह पालीवाल (सुप्रा) के मामलों को अलग करते हुए कहा कि

जिन मामलों में उम्मीदवारों को राहत दी गई थी, उनके पास कट-ऑफ तिथि से पहले पात्रता थी और मुद्दा केवल प्रमाण जमा करने के बारे में था। सीखा है।

वकील ने अशोक कुमार शर्मा और अन्य बनाम चंदर शेखर और एक अन्य (1997) 4 एससीसी 18 और संघ लोक सेवा आयोग बनाम एससीसी 18 पर भरोसा किया।

[2023] 15 एस सी आर।

गौरव सिंह और अन्य। [2022 की सी. ए. संख्या 4152 ने अपनी प्रस्तुतियों को मजबूत करने के लिए 18.05.2022 पर निर्णय लिया और दीपक यादव (उपरोक्त) के मामले को असाधारण कोविड वर्ष के लिए इसके विशेष तथ्यों के रूप में प्रतिष्ठित किया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि राम कुमार गिजरोया (उपरोक्त) मामला भी स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य था और याचिकाकर्ता इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते थे।

35. विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने से रोका जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने चयन में भाग लिया है।

36. विद्वान वकील का तर्क है कि डब्ल्यू. पी. में रिट याचिकाकर्ता (दिव्या) द्वारा 01.04.2021 और 21.02.2022 के बीच प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण। (ग) 2023 की सं. 724 पूरी तरह से असमर्थनीय है। यू. पी. एस. सी. के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि याचिकाकर्ता ने महामारी के दौरान 09.10.2020 पर वर्ष 2019-2020 के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। विद्वान वकील ने जवाबी हलफनामे में और अतिरिक्त हलफनामे में अपनी दलीलों को दोहराया और प्रस्तुत किया कि चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, कैडर आवंटित किया जा रहा है और प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के लिए प्रशासनिक अराजकता का कारण बन सकता है।

37. अन्य दो याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के निवेदन का विरोध करते हुए, विद्वान वकील का कहना है कि मामला गौरव सिंह (उपरोक्त) द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया था और यदि प्रत्येक उम्मीदवार को स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र के साथ आने की अनुमति दी जाती है, तो चयन प्रक्रिया का कोई अंत नहीं होगा और नियम की पवित्रता पूरी तरह से नकार दी जाएगी। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कोई भी चयनात्मक छूट गैर-आवेदकों के लिए भारी अन्याय का कारण बनेगी, जिन्होंने नियम के अनुपालन में इस कारण से आवेदन नहीं किया होगा कि उनके पास जमा करने की अंतिम तिथि पर पात्रता प्रमाण पत्र नहीं था। प्रस्तुतिकरण को सुदृढ़ करने के लिए,

अशोक कुमार शर्मा (ऊपर) और योगेश कुमार पर निर्भरता रखी गई थी।

बनाम जी. एन. सी. टी. डी., (2003) 3 एस. सी. सी. 548 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियमों से विचलन अयोग्य व्यक्तियों और वंचितों को प्रवेश की अनुमति देता है, अन्य लोगों के साथ, जो पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इसलिए, उन्होंने तर्क देते हुए रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

38. ऊपर दिए गए अभिवचनों और तर्कों के आलोक में, निम्नलिखित मुख्य प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

क) सी. एस. ई. नियम, 2022 के अनुसार ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत वैध दावा करने के लिए एक उम्मीदवार के लिए पात्रता मानदंड क्या है जिसे ओ. एम. दिनांक 19.01.2019 और 31.01.2019 के साथ पढ़ा जाता है?

ख) क्या यू. पी. एस. सी. ने ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत एक वैध दावा करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आई एंड ए. सी. प्रमाण पत्रों को रखने और अपलोड करने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने में न्यायसंगत ठहराया था, जैसा कि तत्काल मामले में किया गया था? ग) क्या सी. एस. ई.-नियम 2022 कानून में लागू करने योग्य हैं?

घ) क्या सी. एस. ई.-नियम 2022 के नियम 13, 27 (3) और 28 संवैधानिक रूप से मान्य हैं?

ड) क्या ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत विचार के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करने में यू. पी. एस. सी. को न्यायसंगत ठहराया गया था?

कारण और निष्कर्ष:

सी. एस. ई.-**2022** के लिए ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पात्रता:

39. जैसा कि डी. ओ. पी. टी. द्वारा दिनांक 19.01.2019 और 31.01.2019 द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन से स्पष्ट है, ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आई. और ए. सी. के कब्जे पर ही लिया जा सकता है। ओ. एम. यह भी स्पष्ट करता है कि उम्मीदवार द्वारा आई एंड ए. सी. जमा करने की महत्वपूर्ण तिथि को आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के रूप में माना जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां महत्वपूर्ण तिथि अन्यथा निर्धारित की जाती है। जहां तक ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवारों का संबंध है, सी. एस. ई.-नियम 2022 का नियम 27 (3) बहुत स्पष्ट है जब यह कहा गया है कि एक उम्मीदवार केवल तभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा जब उम्मीदवार केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता है और उसके पास एफ. वाई. 2020-2021 के लिए आय के आधार पर आवश्यक आई. एंड ए. सी. है। इसके अलावा, नियम 28 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमों/सूचना में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। नियम में आगे कहा गया है कि उनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक ऐसे लाभ के लिए नियमों/नोटिस में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी होने चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2022 के लिए यह विवादित नहीं है कि आवेदन की अंतिम तिथि 22.02.2022 थी।

40. यह हमें नियम 13 पर ले जाता है जिसमें जन्म तिथि, श्रेणी के समर्थन में स्कैन किए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र-I (डीएफ-I) जमा करने का उल्लेख है। एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी./ (ओ. बी. सी. अनुलग्नक के बिना)/ई. डब्ल्यू. एस. (ई. डब्ल्यू. एस. अनुलग्नक के बिना)/पी. डब्ल्यू. बी. डी./पूर्व सैनिक) और शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित समय के भीतर आवश्यक परीक्षा शुल्क देना होगा। नियम 13 के अनुसार, निर्धारित तिथि के बाद डी. ए. एफ.-I या समर्थन में दस्तावेजों को जमा करने में किसी भी देरी की अनुमति नहीं थी और इससे सी. एस. ई.-2022 के लिए उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

41. यह बहुत स्पष्ट है कि एक ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवार ने सी. एस. ई.-2022 के उद्देश्य के लिए ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवार होने की पात्रता केवल तभी प्राप्त की है जब उम्मीदवार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है और उसके पास एफ. वाई. 2020-2021 के लिए आय के आधार पर आवश्यक आई. और ए. सी. है। नियम 28 के साथ पढ़ें, उम्मीदवार के पास 22.02.2022 पर प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसलिए यह अपने लिए तय नहीं किया जा सकता है कि उम्मीदवार एक ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार है और केवल मानदंडों को पूरा करने और 22.02.2022 से पहले प्रमाण पत्र जारी करने पर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के रूप में पात्रता होगी, जिससे सीएसई-2022 के लिए उम्मीदवार को लाभ होगा। विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर का तर्क कि "ईडब्ल्यूएस" श्रेणी से होना एक स्थिति है और आई एंड एसी पेश किया जाना केवल एक प्रमाण है और इस तरह आई एंड एसी को किसी भी स्तर पर पेश किया जा सकता है, सीएसई-2022 नियमों के साथ पढ़े गए आधिकारिक ज्ञापन में स्पष्ट पर्व के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि नियम 13 के तहत आवश्यक था, डी. ए. एफ.-I के चरण में दस्तावेज को निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन जमा करना था (सी. एस. ई.-2022 के लिए वर्तमान मामले में तारीख 15.07.2022 थी) और डी. ए. एफ.-I या दस्तावेज को निर्धारित तिथि से आगे जमा करने में किसी भी देरी की अनुमति नहीं थी। ये स्पष्ट शर्तें विद्वान वकील की प्रस्तुतियों के विपरीत हैं कि एक प्रमाण पत्र के सुधार पर यह प्रमाण पत्र की तारीख से संबंधित है।

42. याचिकाकर्ताओं के गीत का पूरा बोझ यह है कि वे योग्य ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार थे और यह केवल उसके प्रमाण के उत्पादन में देरी के कारण था। वे बार-बार हमारे सामने कृष्ण अय्यर की उक्ति का आग्रह करते हैं,

जे., चार्ल्स के. स्कारिया (ऊपर) में, अर्थात्:

- 65

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 66

“....किसी तथ्य और उसके प्रमाण के बीच भ्रमित होना अस्पष्ट स्पष्टता है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि से पहले अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की तारीख को अनिवार्य बनाना समझ में आता है। लेकिन अगर यह अडिग रूप से दिखाया जाता है कि इस योग्यता कारक को अमान्य

करने के लिए प्रासंगिक तिथि से पहले योग्यता प्रमाण प्राप्त किया गया है, क्योंकि प्रमाण, हालांकि निर्विवाद है, कुछ दिनों बाद लेकिन चयन से पहले या इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था जिसका विवरण पत्रिका में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड के ऊपर, प्रक्रिया को नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन और रूप को पदार्थ के अधीन नहीं बल्कि सार से बेहतर बनाना है।”

43. चार्ल्स के. स्कारिया (ऊपर) में, अधिकांश उम्मीदवारों के पास योग्यता अर्थात् डिप्लोमा था। केवल प्रमाण पत्र के रूप में प्रमाण की प्रतीक्षा की गई थी। अधिकारियों ने उन्हें पात्र के रूप में भी स्वीकार किया था, चयन समिति को स्पष्ट रूप से सूचित किया था कि योग्य उम्मीदवारों के लिए भले ही बाद में और अंतिम चयन से पहले प्रमाण आए, लेकिन इसे वैध माना जाना चाहिए।

डॉली छांडा (ऊपर), आलोक कुमार सिंह (ऊपर) और धीरेंद्र सिंह पालीवाल (ऊपर) में भी यही स्थिति थी।

पात्रता के बारे में स्थिति विवाद में नहीं थी। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के रूप में सीएसई-2022 में पात्रता का दावा करने के उद्देश्य से वे मामले और उस तरह के मामले इस मामले में याचिकाकर्ताओं का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

44. पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन में "योग्य" शब्द का अर्थ नीचे दिया गया है:-

“व्यक्तियों के चयन के लिए लागू शब्द के दो अर्थ हैं अर्थात् "कानूनी रूप से योग्य", या "चुना जाना है।”

हमारे संदर्भ में, एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार के रूप में योग्य पाया जा सकता है और उसे उस श्रेणी के तहत चुने जाने वाले व्यक्ति के रूप में तभी माना जा सकता है जब नियम 28 के साथ पठित 31.01.2019 और नियम 27 (3) के OM की आवश्यकता पूरी हो। गौरव सिंह के मामले (उपरोक्त) में, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि जमा करने के वर्ष से पहले विशेष वित्तीय वर्ष के लिए परिसंपत्तियां, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में उम्मीदवार की पात्रता की जड़ तक जाती हैं। इसमें आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जिन उम्मीदवारों के आई एंड एसी क्रम में नहीं हैं, उन्हें विचार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह भी माना गया है कि कोई भी उम्मीदवार एक नया प्रमाण पत्र और/या एक संशोधित प्रमाण पत्र जमा करके उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने के लिए किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

45. यही चार्ल्स जे. स्कारिया (उपरोक्त) मामलों की पंक्ति और वर्तमान मामलों के बीच मौलिक अंतर है। जैसा कि पहले बताया गया है, ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवार के रूप में वर्गीकृत होने की पात्रता केवल तभी स्पष्ट होती है जब आई. एंड. ए. सी. जारी किया जाता है और इस मामले में, नियमों के

तहत आवश्यकतानुसार, इसे 22.02.2022 से पहले उम्मीदवार द्वारा जारी और अधिकृत किया जाना था।

46. यह भी बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि प्रासंगिक नियम हैं जो उस तारीख को निर्धारित करते हैं जिस पर पात्रता होनी चाहिए, तो वे नियम प्रबल होंगे। पात्रता निर्धारित करने के लिए विवरण पत्रिका/विज्ञापन में निर्धारित नियमों या किसी अन्य तिथि के अभाव में, एक न्यायिक समूह है जिसमें कहा गया है कि यह आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।

(देखें रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय **[1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 168]**; भूपिंदरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य **[(2000) 5 एस. सी. सी. 262]**; अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ **[(2007) 4 एस. सी. सी. 54]**।

सी. एस. ई.-2022 नियमों की कानूनी स्थिति:

47. याचिकाकर्ता की वकील सुश्री प्रीतिका द्विवेदी का यह तर्क कि सी. एस. ई.-2022 नियमों का कोई वैधानिक बल नहीं है और इसलिए इसे अनिवार्य रूप से लागू करने योग्य नियम नहीं माना जा सकता है, अदालत को बहुत लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है।

48. भारत संघ ने सी. एस. ई. नियमों के लिए शक्ति के स्रोत की व्याख्या की है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद, अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकती है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 बनाए हैं। आई. ए. एस. (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7 में प्रावधान है कि सेवा में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतराल पर आयोजित की जाएगी जो केंद्र सरकार समय-समय पर आयोग के परामर्श से निर्धारित करे और नियम 7 (2) में कहा गया है कि परीक्षा आयोग द्वारा ऐसे विनियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी जो केंद्र सरकार समय-समय पर आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श से करे। इन नियमों के नियम 7 के अनुसरण में, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और यूपीएससी के परामर्श से, 67

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 68

भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 बनाया है। विनियमों के नियम 2 (सी) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

“‘परीक्षा’ का अर्थ है भर्ती नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) के तहत आयोजित सेवा में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से युक्त एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा और इसमें सेवा और ऐसी अन्य सेवा या सेवाओं में भर्ती के लिए एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है।

49. यह देखा जाएगा कि “परीक्षा” में सेवा और ऐसी अन्य सेवाओं या सेवाओं में भर्ती के लिए एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा शामिल है जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता

है। विनियम 3 में, यह प्रावधान किया गया है कि परीक्षा आयोग द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तरीके से आयोजित की जाएगी और विनियम 4 में पात्रता की शर्तों का उल्लेख है। 1955 में बनाए गए और समय-समय पर संशोधित किए गए इन विनियमों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी को पहली बार जनवरी, 2019 में ही अधिसूचित किया गया था। सी. एस. ई. नियम स्पष्ट रूप से 1955 के विनियमों के विनियम 3 में पाए जाते हैं क्योंकि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के साथ पठित लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के तरीके से संबंधित हैं जो संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 73 के तहत कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है और सी. एस. ई. नियम अनुच्छेद 73 से पता लगाने योग्य हैं जैसा कि मोहन में माना गया है।

कुमार सिंघानिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1992 पूरक

(1) एससीसी 594। सी. एस. ई. नियम किसी भी तरह से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम या आई. ए. एस. भर्ती नियम या आई. ए. एस. (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियमों के किसी भी प्रावधान का स्थान नहीं लेते हैं। वे केवल उन्हें पूरक बनाते हैं। जबकि परीक्षाओं के संचालन का तरीका विनियमन 3 में स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है, यह कहना असमर्थनीय है कि चूंकि पात्रता की शर्तों में विनियमन 4 ईडब्ल्यूएस श्रेणी और ईडब्ल्यूएस प्रमाणन निर्धारित नहीं करता है और इसलिए वे पात्रता के हिस्से के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी स्वयं 2019 में आई थी। यदि यह तर्क सही था, तो सी. एस. ई.-2022 में कोई भी ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी नहीं हो सकती थी। यह वह परिदृश्य नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता भी रहना चाहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

50. इसलिए, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सीएसई-नियम, 2022 के नियम 13, 27 और 28 को नियमों का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ये संघ की कार्यकारी शक्ति के लिए पता लगाने योग्य नियम हैं जो अनुच्छेद 73 के लिए विधिवत पता लगाने योग्य हैं। ये नियम विधिवत राजपत्रित हैं। इन नियमों को चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किया जाता है और प्रक्रिया शुरू होने से पहले उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है। इसलिए, यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि इन नियमों की कोई पवित्रता या लागू करने योग्य कानून की शक्ति नहीं है।

चयनात्मक विश्राम की अपरिहार्यता:

51. इस मामले में, सी. एस. ई.-2022 के रूप में नियम स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। यह भी तय किया गया है कि चयन के अंतिम चरणों तक पात्रता के निर्धारण को अनिश्चित नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इससे अनिश्चितता पैदा होगी। [ए. पी. पब्लिक देखें]

सेवा आयोग बनाम बी. शरत चंद्र (1990) 2 एससीसी 669, पैरा 7]

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि नियम अंतिम तिथि निर्धारित करते हैं जिस पर पात्रता होनी चाहिए, तो कोई भी छूट गैर-आवेदकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी जिन्होंने पात्रता के अधिकार के अभाव में आवेदन नहीं किया होगा। आराम तब चयनात्मक होगा, जिससे भेदभाव होगा [योगेश कुमार (ऊपर) देखें] 52. जैसा कि नियम 13 से स्पष्ट है, वर्तमान मामले में, 15.07.2022 द्वारा, पात्रता का खुलासा करने वाले प्रमाण पत्र डी. ए. एफ.-I के साथ अपलोड किए जाने थे और यह नियम द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि डी. ए. एफ.-I या समर्थन में दस्तावेजों को देरी से जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

53. उपरोक्त के अलावा, पुल के नीचे भी बहुत पानी है। यूपीएससी ने कैडर आवंटन किया है और 298 रिक्तियों के खिलाफ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी उनके संबंधित कैडर आवंटित किए गए हैं। आज, यू. पी. एस. सी. के लिए अंडे को तोड़ना कानूनी रूप से अनुमत और प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है। याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करने से प्रशासनिक अराजकता भी पैदा होगी और चयन प्रक्रिया अनिश्चित रूप से लंबी हो जाएगी।

54. राम कुमार गिजरोया मामले पर मजबूत निर्भरता (ऊपर)

यह भी हमें प्रभावित नहीं करता है। न केवल कोई नियम था, जैसा कि हमने वर्तमान मामले में किया है, यह केवल परिणाम घोषित करते समय था, चयन प्राधिकरण द्वारा कट-ऑफ तिथि से पहले ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता वहां शुरू की गई थी। इसके अलावा, वर्तमान के विपरीत, उस मामले में कोई विवाद या मुद्दा नहीं उठाया गया था कि पात्रता 69 को सुनिश्चित या स्पष्ट करती है।

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन जे.] 70

केवल प्रमाण पत्र जारी करने और प्रमाण पत्र रखने पर, निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले।

55. राम कुमार गिजरोयाकासे (ऊपर) में भी फैसला सीधे-सीधे होता है।

अशोक कुमार शर्मा में तीन माननीय न्यायाधीशों के फैसले के साथ आई. सी. टी.

और अन्य बनाम चंदर शेखर और अन्य (1997) 4 एस. सी. सी. 18 जिसमें

पैरा 6 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:- “... जहाँ तक 1-9-1995 के हमारे आदेश में निर्दिष्ट पहले मुद्दे का संबंध है, हमारी यह सम्मानजनक राय है कि बहुमत का निर्णय (Dr.T.K. थॉममेन और वी. रामास्वामी, जे. जे. द्वारा दिया गया) कानूनी रूप से अस्थिर है। यह प्रस्ताव कि जहां आवेदनों को आवेदन करने की अंतिम तिथि के रूप में किसी विशेष तिथि को निर्धारित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उम्मीदवारों की पात्रता को उस तिथि के संदर्भ में आंका जाना चाहिए और केवल वह तिथि एक अच्छी तरह से स्थापित है। एक व्यक्ति जो ऐसी निर्धारित तिथि के बाद निर्धारित योग्यता प्राप्त करता है, उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता है। आवेदनों के लिए जारी/प्रकाशित विज्ञापन या अधिसूचना जनता के लिए एक प्रतिनिधित्व का गठन करती है और इसे जारी करने वाला प्राधिकरण इस तरह के प्रतिनिधित्व से बाध्य है। यह इसके

विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे एक कारण यह है कि यदि यह ज्ञात होता कि जिन व्यक्तियों ने निर्धारित तिथि के बाद लेकिन साक्षात्कार की तारीख से पहले योग्यता प्राप्त की है, उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, तो इसी तरह के अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकते थे। सिर्फ इसलिए कि कुछ व्यक्तियों ने आवेदन किया था, इसके बावजूद कि उन्होंने निर्धारित तिथि तक निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं की थी, उन्हें वरीयता के आधार पर नहीं माना जा सकता था।

56. इन सबके अलावा, कर्ण सिंह यादव (दो-न्यायाधीश) के मामले में राम कुमार गिजरोयाकासे (उपरोक्त) की शुद्धता को तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। रेफरल आदेश के पैरा छह के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पीठ अशोक कुमार शर्मा के मामले (उपरोक्त) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के अनुपात को प्रतिध्वनित कर रही थी, हालांकि उक्त मामले का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है। हालांकि, जब मामला तीन-न्यायाधीशों की पीठ के सामने आया, तो संदर्भ का जवाब नहीं दिया गया और राम कुमार गिजरोया मामले को नोटिस करने के बाद भी

(ऊपर) कर्ण सिंह यादव (दो-न्यायाधीशों) के मामले को शामिल करते हुए, न्यायालय, हालांकि, याचिकाकर्ता कर्ण सिंह यादव को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि चूंकि अपीलार्थी को उस समय तक इस पद पर कभी नियुक्त नहीं किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

अपीलार्थी को कोई राहत देना संभव नहीं था। राम कुमार गिजोर्या (ऊपर) स्पष्ट रूप से अलग है।

57. हम अशोक कुमार शर्मा (उपरोक्त) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से बाध्य हैं और हम उक्त फैसले का पालन करते हैं और उस पर निर्धारित सिद्धांत को दोहराते हैं। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि दीपक यादव (ऊपर) में भी, एक निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दृढ़ता से भरोसा किया था, अशोक कुमार शर्मा (ऊपर) के सिद्धांत को दोहराया गया है। हालांकि, जिसे न्यायालय ने एक असामान्य और विनाशकारी वर्ष कहा था, उसके कारण चल रही महामारी, लॉकडाउन और उसके लगाए गए प्रतिबंधों के कारण एक अपवाद बनाया गया था। आलोक कुमार सिंह (ऊपर) में, इस मामले में मौजूद नियमों की तरह कोई नियम मौजूद नहीं दिखाया गया है। वर्तमान मामले में, पात्रता के बारे में स्पष्ट निर्देश हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

58. गौरव सिंह के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:- “सही वित्तीय वर्ष के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में तकनीकी अनियमितता को एक अलग वित्तीय वर्ष के संबंध में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के बराबर नहीं माना जा सकता है, जब आवेदन जमा करने के वर्ष से पहले विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आय और परिसंपत्तियां, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक उम्मीदवार की पात्रता के मूल तक जाती हैं।

प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते थे। यदि आवेदन 24 अप्रैल 2019 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार किए गए थे, जिसमें 20 मई 2019 को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया था, तो आवेदन जमा करने के वर्ष से पहले का वित्तीय वर्ष संभवतः वित्तीय वर्ष 2019-2020 नहीं हो सकता है, जिससे प्रमाण पत्र संबंधित हैं। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में भर्ती के लिए अधिसूचना में वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करने की समीचीनता का अवलोकन एक परामर्श की प्रकृति में है, जिसे भविष्य में अपीलार्थी द्वारा भर्ती अधिसूचना जारी किए जाने पर ध्यान में रखा जा सकता है। प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4, जिनकी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र क्रम में नहीं थे, उन्हें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार माने जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

71

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 72

प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ताओं को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता थी। प्रमाण पत्र सही वित्तीय वर्ष से संबंधित है या नहीं, इसकी जाँच न करने में प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ताओं की लापरवाही को प्रमाणन प्राधिकरण की अनजाने में चूक के रूप में हल्के से दरकिनारा नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन के अनुसार किसी पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार लापरवाही नहीं कर सकता है। जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने से पहले संबंधित उम्मीदवार द्वारा सावधानीपूर्वक जांचा जाना चाहिए। एक नियुक्ति प्राधिकारी एक प्रमाण पत्र में जो कहा गया है, उसके आधार पर आगे बढ़ता है। जब कोई प्रमाण पत्र किसी अलग वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है, तो उसे पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में कोई भी उम्मीदवार नए प्रमाण पत्र और/या संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपनी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने के किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

.....

प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता संख्या 3 के मामले में, आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जिस पर शुरू में एक ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने के रूप में सवाल उठाया गया था जो सक्षम नहीं था, को बाद में स्वीकार कर लिया गया क्योंकि यह पाया गया कि प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी वास्तव में सक्षम था। प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता संख्या 1 के प्रमाण पत्र को भी स्वीकार कर लिया गया क्योंकि जारी करने की तारीख या वर्ष में कोई विसंगति नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि संबंधित अधिकारी के पूरे नाम के बिना मुहर पर मुहर लगाई गई थी और इसे एक त्रुटि के रूप में स्वीकार किया गया था जो संबंधित उम्मीदवार के लिए जिम्मेदार नहीं था।”

(जोर हमारा है) 59। याचिकाकर्ताओं के वकील सुश्री प्रीतिका द्विवेदी और श्री के. परमेश्वर द्वारा दीपक यादव (उपरोक्त) के मामले पर भरोसा करके गौरव सिंह के मामले (उपरोक्त) को खत्म करने का प्रयास भी हमें प्रभावित नहीं करता है। दीपक यादव मामला (उपरोक्त) 2020 की सिविल सेवा

परीक्षा से संबंधित था। यह 2020 में महामारी के चरम के बीच में था। उस परिदृश्य में, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

“7. वास्तव में, खंड 7 के नोट I के अंतिम भाग में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के विस्तृत आवेदन पत्र-I की नियत तिथि (अंतिम तिथि) से पहले होना चाहिए। यूपीएससी में कुछ भी गलत नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

पात्रता मानदंड की प्रकृति में होने के कारण इस शर्त का सख्ती से पालन करना। उत्तरदाताओं को यह आग्रह करने में न्यायसंगत और सही माना जाता है कि यह शर्त अलंघनीय है जैसा कि अशोक कुमार शर्मा और

ओआरएस बनाम। चंदर शेखर और अन्न, (1997) 4 एस. सी. सी. 18 और उसके बाद इस न्यायालय के निर्णय जिन्हें कई गुना करने की आवश्यकता नहीं है।

8. हालाँकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2020 चल रही महामारी, लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण एक असामान्य और विनाशकारी वर्ष था। यूपीएससी को अन्य सभी विश्वविद्यालयों/बोर्डों की तरह अपनी परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के मामले में योग्यता परीक्षा के परिणामों में देरी हुई। यह पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं के नियंत्रण से बाहर था जो निश्चित रूप से उस तारीख को पात्र थे जब वे प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे और मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की थी, जिसमें वे उपस्थित हुए थे। मान लीजिए, याचिकाकर्ताओं ने जनवरी, 2021 में यूपीएससी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा (यानी 08.01.2021 और 17.01.2021 के बीच) से पहले योग्यता पात्रता मानदंड प्राप्त कर लिए थे।

... ..

12. तदनुसार, हम यू. पी. एस. सी. को निर्देश जारी करते हैं कि 5 उम्मीदवारों को, एक विशेष मामले के रूप में, उन संबंधित श्रेणियों में व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाए जिनमें उन्होंने योग्यता प्राप्त की है। इन 5 उम्मीदवारों को जोड़ने से संबंधित शाखाओं/श्रेणियों में व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए प्रकाशित सूची में पहले से ही सूचीबद्ध किसी भी उम्मीदवार को कोई नुकसान नहीं होगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।”

60. इस असाधारण स्थिति को नियम नहीं बनाया जा सकता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता (सुश्री दिव्या) के पास 01.04.2021 से 21.02.2022 तक I & AC प्राप्त करने का अवसर था। वास्तव में, उन्होंने 09.10.2020 पर F. Y. 2019-2020 के लिए अपना EWS प्रमाण पत्र प्राप्त किया और 13.12.2022 पर F. Y. 2021-2022 के लिए अपना I & AC प्राप्त किया, लेकिन केवल

01.06.2023 पर अपना I & AC 2020-2021 प्राप्त किया। यदि वह 09.10.2020 पर F. Y. 2019-2020 के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्थिति में थी, जब देश अभी भी एक भीषण महामारी से जूझ रहा था, तो कोई कारण नहीं है कि वह 01.04.2021 और 21.02.2022 के बीच के किसी भी दिन 2021-2022 के लिए अपना I & AC प्राप्त नहीं कर सकती थी। हम 73 नहीं हैं।

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे.]

याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट। इसलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उम्मीदवारी को रद्द करने वाले ई-मेल को चुनौती देने वाले उनके दावे को भी खारिज कर दिया जाता है।

सी. एस. ई.-2022 नियमों की वैधता-कट-ऑफ तिथि की वैधता:

61. रिट याचिका में नियम 13, 27 (3) और 28 को इस हद तक घोषित करने की चुनौती दी गई है कि यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पर उम्मीदवार के पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, केवल यह कहा जाना चाहिए कि इसे खारिज कर दिया गया है। यह दिखाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है कि 22.02.2022 का कट-ऑफ टोपी से चुना गया था। वह आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी और हमारे अनुसार, यह एक वैध रूप से निर्धारित कट-ऑफ थी। वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वह यह है कि जहां किसी नियम का अभाव है या किसी प्रिस्क्रिप्शन का अभाव है, पात्रता को पूरा करने का अंतिम दिन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। यह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त डिफॉल्ट तिथि है। इस मामले में आवेदन की अंतिम तिथि को नियमों में कट-ऑफ के रूप में निर्धारित किया गया है और हम अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई मामला बिल्कुल नहीं देखते हैं।

62. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम श्री कौशिक द्वारा उठाए गए अन्य तर्क की जांच नहीं कर रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं को चुनौती देने से रोका जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने चयन में भाग लिया है।

लिखित याचिका (सी) 2023 की संख्या 705 और 2023 की संख्या 764:

63. इन दोनों रिट याचिकाओं में, शामिल कानूनी प्रश्न समान हैं, सिवाय इसके कि जिस तथ्यात्मक परिदृश्य में वे उत्पन्न होते हैं, वह 2023 की रिट याचिका (सी) संख्या 724 से थोड़ा अलग है।

डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 705/2023:

64. याचिकाकर्ताओं ने यू. पी. एस. सी. द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1-विमलोक तिवारी और याचिकाकर्ता संख्या 2-अश्विनी दुबे को जारी किए गए दिनांक आई. डी. 2 और याचिकाकर्ता संख्या 3-कुबेर सूरज लक्ष्मण को जारी किए गए दिनांक आई. डी. 1 पर सवाल उठाया है। उक्त संचार द्वारा, यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी के विचार को "सामान्य श्रेणी" में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यूपीएससी के अनुसार, उनके डीएएफ-1 के साथ अपलोड किए गए आई एंड एसी ने वित्तीय वर्ष का गलत उल्लेख 2020-2021 के बजाय 2021-2022 के रूप में किया है। कुबेर सूरज को जारी किए गए दिनांक 30.05.2023 के पत्र में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

लक्ष्मण, यह उल्लेख किया गया था कि उन्होंने आई एंड एसी के बजाय ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इन उम्मीदवारों में से प्रत्येक का अपना स्पष्टीकरण है। याचिकाकर्ता संख्या 1 विमलोक तिवारी का कहना है कि यू. पी. एस. सी. से 30.01.2023 पर एक संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि डी. ए. एफ.-I में विसंगति पाई गई थी, क्योंकि जारी करने वाले प्राधिकरण के पदनाम, मुहर, मुहर और एफ. वाई. 2020-2021 का उल्लेख उनके द्वारा प्रस्तुत ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र में नहीं किया गया है। उनसे अनुरोध किया गया था कि वे व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के उल्लेख के साथ जारी करने वाले प्राधिकरण के पदनाम, मुहर और मुहर के साथ मूल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने प्राधिकरण से 31.03.2023 दिनांकित स्पष्टीकरण प्राप्त किया जिसने वित्तीय वर्ष को 2020-2021 में सुधारने के लिए I & AC जारी किया और 05.04.2023 के पत्र द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। व्यक्तित्व परीक्षण पहले से ही 15.02.2023 पर आयोजित किया जा चुका था। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि जारी करने वाले प्राधिकरण का पदनाम, डाक टिकट, मुहर पहले से ही मूल रूप से उत्पादित प्रमाण पत्र में उपलब्ध था।

65. जहाँ तक याचिका संख्या 2-अश्विनी दुबे का संबंध है, याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके पास आई एंड ए. सी. दिनांक 25.01.2022 था जिसमें वित्तीय वर्ष का उल्लेख 2021-2022 के रूप में किया गया था। उन्हें दिनांक 10.01.2023 पर एक सूचना मिली जिसमें उन्हें अवहेलनाओं को पूरा करने की सलाह दी गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे एफ. वाई. 2020-2021 के लिए मूल ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि यानी e.22.02 को या उससे पहले जारी करें। 2022, व्यक्तित्व परीक्षण की तिथि पर। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने तहसीलदार डिंडोरी से दिनांक 16.01.2023 का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि 2021-2022 के रूप में उल्लिखित वित्तीय वर्ष एक गलती थी और इसे दिनांक 25.01.2022 के प्रमाण पत्र में 2020-2021 के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। जब व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया गया तो उन्होंने 09.02.2023 पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

66. जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 3-कुबेर सूरज लक्ष्मण का संबंध है, उनके पास पहले से ही पाए गए निर्धारित प्रारूप में दिनांकित 11.10.2021 प्रमाण पत्र था, लेकिन उन्होंने गलती से उसी दिन F. Y. 2021-2022 के लिए प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया था। वह प्रस्तुत करता है कि व्यक्तित्व परीक्षण दिनांक 17.04.2023 के दिन, उसने वर्ष 2020-2021 के लिए 11.10.2021 दिनांकित I & AC प्रस्तुत किया था।

67. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए प्रमाण पत्र है, जबकि यूपीएससी अपने जवाबी हलफनामे में दावा करता है कि वित्त वर्ष 2020-75

2021 डाला जाता है। नियम की व्याख्या पर हमने जो माना है, उसे ध्यान में रखते हुए, इन तथ्यों को हमें और अधिक रोकने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मामले में, इन तथ्यात्मक विवादों की जांच के लिए न्यायालय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 764/2023:

68. जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 1-वेद प्रकाश सिंह का संबंध है, उनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि आई एंड ए. सी. में वित्तीय वर्ष का गलत उल्लेख 2021 किया गया था। उन्होंने सामान्य श्रेणी के तहत भी अर्हता प्राप्त नहीं की। डी. ए. एफ.-I में, उम्मीदवार ने वर्ष 2021 के लिए वैध 19.03.2021 दिनांकित प्रमाण पत्र अपलोड किया था। यू. पी. एस. सी. ने 23.01.2023 के एक संचार के माध्यम से, उन्हें अवज्ञाओं को पूरा करने के लिए सूचित किया और उम्मीदवार को डी. ए. एफ.-I के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की सभी प्रमाणित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप (सक्षम प्राधिकारी द्वारा <आई. डी. 2 पर या उससे पहले जारी) में मूल ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। याचिकाकर्ता नंबर 1-वेद प्रकाश सिंह के अनुसार, उन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण दिनांक 22.03.2023 की तारीख को I & AC दिनांक 19.02.2022 प्रस्तुत किया। यूपीएससी ने प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है और उनके मामले को सामान्य श्रेणी में बदल दिया है। इसके अलावा, व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख पर, प्रमाण पत्र को यह कहते हुए वापस कर दिया गया था कि जारी करने वाले प्राधिकारी के पदनाम का उल्लेख नहीं किया गया था। एक वचन पत्र प्राप्त किया गया था कि उनका अपने जोखिम पर अस्थायी रूप से साक्षात्कार किया जा रहा था। वह प्रस्तुत करता है कि उसके बाद उसने 05.04.2023 पर उल्लिखित पदनाम के साथ अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

69. याचिकाकर्ता संख्या 2-मोहम्मद के संबंध में। कासिम चिंतित हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने सामान्य श्रेणी के तहत भी योग्यता प्राप्त नहीं की थी। 24.05.2023 दिनांकित एक संचार द्वारा, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई क्योंकि उनका I & AC F. Y. 2021-2022 के लिए था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख पर अवज्ञा करने की सलाह दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 21.02.2023 दिनांकित एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि 17.12.2021 दिनांकित प्रमाण पत्र में, वित्तीय वर्ष को 2021-2022 के बजाय 2020-2021 के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने 21.03.2023 पर अपना प्रमाण पत्र जमा किया।

70. जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 3-अग्रिवेश मिश्रा का संबंध है, उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी गई थी क्योंकि आई एंड ए. सी. में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2019-2020 है। उनके अनुसार, उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्ष 2020-2021 के लिए 10.07.2021 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने डी. ए. एफ.-I में अपलोड किया था

[2023] 15 एस सी आर।

प्रमाण पत्र दिनांक 18.11.2020 जिसमें निकाय में वित्तीय वर्ष का उल्लेख 2019-2020 के रूप में किया गया है, हालांकि शीर्षक में इसका उल्लेख वर्ष 2020-2021 के लिए वैध है। व्यक्तित्व परीक्षण की तिथि पर प्रस्तुत 10.07.2021 का प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया गया था।

71. जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 4-प्रियांशु राज का संबंध है, उनकी उम्मीदवारी को भी 24.05.2023 के ई-मेल द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि उल्लिखित एफ. वाई. 2019-2020 था। डी. ए. एफ. में उन्होंने प्रमाण पत्र दिनांक 19.10.2020 अपलोड किया था, जिसमें शीर्षक में उल्लेख किया गया था कि यह वर्ष 2020-2021 के लिए मान्य था, लेकिन मुख्य भाग में इसका उल्लेख एफ. वाई. 2019-2020 किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख पर अवज्ञा करने के लिए कहा गया था। उनका कहना है कि व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख को 2020-2021 के लिए 16.10.2021 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, यूपीएससी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था।

72. जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 5-कुमारी रितिका तिवारी का संबंध है, उनकी उम्मीदवारी को 24.05.2023 के ई-मेल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि डी. ए. एफ.-I में अपलोड किए गए फॉर्म में उल्लिखित एफ. वाई. 2019-2020 था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें सूचित किया गया था कि उनकी उम्मीदवारी को 01.05.2023 के मेल द्वारा अस्थायी रखा गया था। वह दावा करती है कि 04.07.2023 पर, उसने F. Y. 2020-2021 के लिए 24.02.2021 दिनांकित I & AC प्रस्तुत किया।

73. जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 6-शिवम अग्रवाल का संबंध है, 31.05.2023 के एक संचार द्वारा, उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था क्योंकि DAF-I में अपलोड किए गए I & AC में उल्लिखित F. Y. 2021-2022 था। याचिकाकर्ता के अनुसार, 07.02.2023 के एक संचार द्वारा, उन्हें सूचित किया गया था कि मूल बी. एड. की प्रस्तुति न होने के कारण उनकी उम्मीदवारी को अस्थायी/सशर्त रखा गया है। प्रमाण पत्र। उनका कहना है कि उन्होंने अपने दम पर सक्षम प्राधिकारी से 02.06.2023 का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जिसने I & AC जारी किया और गलती को 2021-2022 से 2020-2021 में ठीक कर दिया गया और उन्होंने इसे 07.06.2023 पर जमा कर दिया। हालांकि, सुधार पर विचार नहीं किया गया है।

चयन निकाय के निर्णय में हस्तक्षेप-कब अनुमत है?

74. क्या हम ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में यू. पी. एस. सी. की इस कवायद को दोष दे सकते हैं, क्या यह विचार के लिए प्रश्न है? हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए विवश हैं कि हम 77 को दोष नहीं दे सकते।

यूपीएससी द्वारा अपनाई गई विधि। यही कारण है कि यू. पी. एस. सी. ने नियम 27 और 27 के साथ पढ़े गए नियम 13 के जनादेश के अनुसार सख्ती से काम किया है। 28. डी. ए. एफ.-I के साथ अपलोड किए गए प्रपत्रों की जांच करना उनका दायित्व था। सी. एस. ई.-नियम 2022 के नियम 13, 27 और 28 को 19.01.2019 और 31.01.2019 के आधिकारिक ज्ञापन विशेष रूप से 31.01.2019 के आधिकारिक ज्ञापन के खंड 5 के साथ पढ़ा जाना है। जाँच निकाय ने दोषों को महत्वहीन नहीं माना है। यदि ऐसा है तो हमारे पास सभी याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाओं को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

75. हमारे विचार में, रिट याचिका (सी) संख्या 705 और 764 में याचिकाकर्ताओं का मामला अतिरिक्त रूप से विफल हो जाता है, क्योंकि वे सीधे फैसले के दायरे में आते हैं।

गौरव सिंह के मामले में (ऊपर)। **76. टी. जयकुमार बनाम ए. गोपू और अन्य, (2008) 9 एससीसी 403 में,**

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आवेदन पत्र में दोष जो उम्मीदवार को अपात्र बनाता है, भले ही प्रारंभिक जांच में अनदेखी की गई हो और भले ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया हो, आवेदन में दोष सामने आने के बाद, परीक्षा निकाय को बाद के चरण में उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र ठहराने का अधिकार नहीं देता है।

77. श्री के. परमेश्वर, विद्वान वकील, जो डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। (ग) संख्या 705 और 764 ने प्रस्तुत किया है कि यू. पी. एस. सी. द्वारा उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसे नियमों की छूट माना जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संचार नियम 13, 27 और 28 को निर्देशिका के रूप में समझने के लिए एक स्पष्ट संकेत हैं। हम प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं हैं। संचार याचिकाकर्ताओं की इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि उनकी उम्मीदवारी को वैध माना जाएगा। किसी भी स्थिति में, इन संचारों को नियमों के आधार पर नहीं समझा जा सकता है।

78. नियम स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं और जैसा कि गौरव सिंह (उपरोक्त) के मामले में कहा गया है, किसी भी गलती/चूक/लापरवाही को माफ नहीं किया जा सकता है ताकि दस्तावेजों को पेश करने की समय सीमा बढ़ाई जा सके। न तो आधिकारिक ज्ञापन और न ही विचाराधीन नियमों को निर्देशिका के रूप में माना जा सकता है। वे स्पष्ट रूप से पात्रता मानदंड और वह तिथि निर्धारित करते हैं जिसके पहले प्रमाण पत्र होना चाहिए और वह तिथि जिसके पहले प्रमाण पत्र जमा किया जाना चाहिए। वे चूक के लिए परिणाम भी निर्धारित करते हैं। जैसा कि पुरानी बात घोड़े की नाल की कील की कमी के लिए जाती है, राज्य खो गए हैं। यहाँ हम महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर काम कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

पात्रता निर्धारित करना।जिन याचिकाकर्ताओं के पास निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले अपनी पात्रता निर्धारित करने वाले वैध दस्तावेज नहीं थे, वे शिकायत नहीं कर सकते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस के रूप में वर्गीकरण के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया गया था।

79. विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर ने तर्क दिया कि चार अन्य उम्मीदवारों के संबंध में छूट दी गई है क्योंकि उन्हें ईडब्ल्यूएस और आई एंड एसी में दोषों को सुधारने की अनुमति दी गई थी। हमने यू. पी. एस. सी. से जवाब देने के लिए कहा और जवाब नीचे दिया गया है:-

एस. एल. नहीं।	रोल नं.	नाम श्रेणी ई. डब्ल्यू. एस. के तहत आवंटित सेवा	टिप्पणियां
1	5409703	आयुष गुप्ता 180, आई. ए. एस.	उम्मीदवार की तस्वीर पर आई एंड एसी डब्ल्यू. आर. टी. टिकट में मामूली चूक। उम्मीदवार को एक ऐसी भूमि का प्रावधान रखा गया था जिसे हटाने के बाद डीओपी एंड टी ने उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी थी।
2	866859	अनुनय आनंद 185, आई. ए. एस.	आई एंड ए. सी. डिजिटल रूप से जारी किया गया था। इसके बाद, उम्मीदवार ने जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर के साथ भौतिक रूप से हस्ताक्षर किए, इसलिए उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी गई।
3	834939	सोनम 237, आईएसएस	उनके आई एंड ए. सी. पर नायब तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और डी. सी. कार्यालय के सेवा केंद्र द्वारा जारी किया गया था, जो वरिष्ठ अधिकारी

			है।
4	807485	देशमुख राजश्री शांताराम, 719, आईआरएमएस	आई एंड ए. सी. में उम्मीदवार के पिता के नाम में मामूली त्रुटि जो उपनाम सहित पूरे नाम का संकेत देती है जिसका उल्लेख डी. ए. एफ.-I में नहीं किया गया था। इसके बाद, उम्मीदवार ने गलती को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत किया और उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी गई।

80. यह ध्यान दिया जाएगा कि यूपीएससी ने इन चूक को तुच्छ माना है और इसमें याचिकाकर्ताओं के मामले के विपरीत पात्रता की जड़ तक नहीं जाना है। अजय कुमार मिश्रा बनाम। भारत संघ [2016] एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6563, इंदिरा बनर्जी, जे. (उस समय उनकी लेडीशिप के रूप में) 79 बोल रही थीं

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे] 80

दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह निर्णय लेने के लिए जांच निकाय के अधिकार के बारे में सम्मानपूर्वक मुद्दा रखा कि कौन सी त्रुटियां भौतिक हैं और कौन सी अनावश्यक और तुच्छ हैं। हम उक्त निर्णय से पैरा 6, 7 और 9 निकालने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं:-

“6. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सरकारी नौकरी या उस मामले के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक आवेदन करना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार आवेदन में बकाया राशि को सुधारने के किसी भी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग लाखों आवेदनों से निपटते हैं, जो एक विज्ञापन के अनुसार प्राप्त होते हैं। इस तरह के आवेदनों को कम समय के भीतर संसाधित किया जाना आवश्यक है। एक उम्मीदवार, जिसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है और/या लापरवाही से गलतियाँ करने में अपनी लापरवाही के कारण चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है, वह चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

7. यह चयन प्रक्रिया का संचालन करने वाले निकाय को यह तय करना है कि क्या गलतियों को सुधारने की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि हां, तो क्या उन्हें किसी भी विशिष्ट समय के भीतर ठीक किया जाना चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें सुधारने की अनुमति दी जा सकती है और इसी तरह के अन्य प्रश्न। हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 के अधिदेश को देखते

हुए, इन प्रश्नों का निर्णय लेने में कोई भेदभाव या मनमानेपन नहीं होना चाहिए। विशेष पद/पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

9. यह सच है कि जब भी आवेदन पत्र में कोई भौतिक विसंगति देखी जाती है और/या जब कोई दमन और/या गलत प्रतिनिधित्व का पता चलता है, तो आवेदन को संसाधित करने और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के बाद भी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। हालांकि, एक उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया में भाग लेने और सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद, उसकी उम्मीदवारी को केवल चूक की गंभीरता की सावधानीपूर्वक जांच के बाद रद्द किया जा सकता है, न कि मामूली चूक या त्रुटियों के लिए।”

81. गौरव सिंह के मामले (ऊपर) में भी एक ऐसे दोष के बीच अंतर है जो भौतिक है न कि भौतिक और जाँच निकाय के अधिकार के बीच।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

क्षमा करने पर ध्यान दिया गया है। हम मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं के मामले में, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के रूप में वर्गीकरण के लाभ से इनकार करने में यूपीएससी को उचित ठहराया गया था।

82. विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर ने यू. पी. एस. सी. के दिनांकित 12.05.2023 पत्र से समर्थन प्राप्त करके एक बहादुर प्रयास किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता वेद प्रकाश सिंह द्वारा दिनांकित 06.04.2023 ईमेल द्वारा प्रस्तुत मूल ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र दिनांकित 19.02.2022 को वापस कर दिया गया था। यूपीएससी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि एक अभ्यास के रूप में व्यक्तित्व परीक्षण के बाद जमा किए गए मूल दस्तावेजों को जांच के बाद वापस कर दिया जाता है और इसके लिए एक मानक प्रारूप पत्र का उपयोग किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र विज्ञापन में नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं था, इसलिए उसे वापस कर दिया गया था और स्वीकार नहीं किया गया था। इसे देखते हुए, हम उस प्रस्तुति में भी कोई योग्यता नहीं रखते हैं।

83. उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वकील, श्री के. परमेश्वर का तर्क कि नियम 13 को निर्देशिका के रूप में मानने की एक पुरानी प्रथा थी, कोई योग्यता नहीं है।

84. सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, विद्वान वकील, ने एक वैकल्पिक प्रस्तुति दी। उनकी याचिका थी कि न्यायालय द्वारा नियम और यूपीएससी की कार्रवाई को बरकरार रखने की स्थिति में, न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उनकी दलील थी कि पूर्ण न्याय करने के लिए, उनके मुवक्किल को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए।

85. हम याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद 142 के तहत शरण देने से इनकार करते हैं। इस मामले में ओ. एम. और सी. एस. ई.-नियम 2022 को सही तरीके से लागू करके सभी के साथ पूरा न्याय किया

गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 142 न्यायालय के शस्त्रागार में एक उपयोगी हथियार है। हालाँकि, इसका अभ्यास बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। हम वर्तमान मामले को एक के रूप में नहीं मानते हैं, जो उस शक्ति के आह्वान की गारंटी देता है।

निष्कर्ष:

86. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-i) सी. एस. ई.-2022 के उद्देश्य के लिए ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार केवल तभी पात्रता प्राप्त करते हैं जब वे ओ. एम. में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

81

दिव्या बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [के. वी. विश्वनाथन, जे] 82

दिनांकित 19.01.2019 और 31.01.2019 और वर्ष 2020-21 की आय के आधार पर आवश्यक आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (I & AC) के कब्जे में हैं। इसके अलावा, जैसा कि सी. एस. ई. नियम, 2022 के नियम 28 के तहत आवश्यक है, जिसे 19.01.2019 और 31.01.2019 के ओ. एम. के साथ पढ़ा जाता है, उम्मीदवार के पास 22.02.2022 पर आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (आई. एंड ए. सी.) होना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसके पास निर्धारित प्रारूप में आई एंड ए. सी. नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। समान रूप से, जैसा कि डी. ए. एफ.-I के चरण में सी. एस. ई. नियम, 2022 के नियम 13 के तहत आवश्यक था, निर्धारित प्रारूप में 22.02.2022 पर कब्जे में दस्तावेज को निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन जमा करना था। यू. पी. एस. सी. को ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के लिए न्यायसंगत ठहराया गया था, यदि उन्होंने निर्धारित समय सीमा से परे अपना आई एंड ए. सी. जमा किया था। इस निष्कर्ष को निर्णय में तर्क के साथ पढ़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से पैराग्राफ 39, 40 और 41 में "सीएसई-2022 के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पात्रता" शीर्षक के तहत।

ii) उपरोक्त निष्कर्ष (i) की अगली कड़ी के रूप में, हम दर्ज करते हैं कि यूपीएससी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले दावेदारों के लिए निर्धारित प्रारूप में आई एंड एसी के कब्जे और अपलोड करने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने में न्यायसंगत ठहराया गया था। सी. एस. ई.-नियम, 2022 के नियम 13, 27 (3) और 28 के साथ पठित ओ. एम. दिनांक 19.01.2019 और 31.01.2019 और निर्णयों की लंबी कतार जिसमें पात्रता के लिए कट-ऑफ के प्रिस्क्रिप्शन के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

iii) उप-शीर्षक "सी. एस. ई.-2022 नियमों की कानूनी स्थिति" के तहत ऊपर दिए गए पैराग्राफ 47 से 50 में दिए गए कारणों के लिए, हम मानते हैं कि सी. एस. ई.-2022 नियमों में एक लागू करने योग्य कानून का बल है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के साथ पढ़े गए भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के साथ पढ़े गए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 और यह सब भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के साथ पढ़ा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

iv) सी. एस. ई.-नियम, 2022 के नियम 13,27 (3) और 28 उप-शीर्षक "सी. एस. ई.-नियमों की वैधता, 2022-कट-ऑफ तिथि की वैधता" के तहत ऊपर दिए गए पैरा 61 में निर्धारित कारणों के लिए संवैधानिक रूप से मान्य हैं।

v) सी. एस. ई.-2022 में ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत विचार के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करने में यू. पी. एस. सी. को न्यायसंगत ठहराया गया था।

87. ऊपर बताए गए कारणों से, सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

लिखित याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे